(ग) इस घटना के परिणामस्वरूप जान व माल का कितना नुकसान हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान): (क) से (ग). 10-7-67 को 7 पाकिस्तानी नागरिक बाड़मेर इलाके में भारतीय क्षेत्र में घुस आये और एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया जो अपने खेत में काम कर रहा था। वे उसकी 800 रु० लागत की घोड़ी भी ले गये। बाद में 8 पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सीमा में 500 गज अन्दर तक घुस आये और 180 बकरियां ले गए। गिरब थाने में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों को विरोध-पत्र दिया गया है। सीमा सुरक्षा दल का कम्पनी कमांडेंट भी अपने समकक्ष पाकिस्तानी अधिकारी से मिला है और उसने भारतीय नागरिक तथा पशु धन को लौटाने की मांग की है। उन्हें वापस प्राप्त करने की कोशिशें जारी हैं। किसी जान के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

भावनगर में अग्निकांड

7639. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर में हाल ही में हुए हिंसात्मक उपद्रव में भीड़ ने डाकघर, बुकिंग कार्यालय दूकानों आदि को क्षति पहुंचाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 14 और 15 जुलाई को भावनगर की हिंसात्मक घटनाओं के दौरान एक उपद्रवी भीड़ ने ऐसी क्षति पहुंचाई थी।

(ख) राज्य सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए और स्थिति को नियन्त्रित कर लिया। 15 जुलाई, 1967 की घटनाओं के दौरान किये गए अपराधों के बारे में 86 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ?

साक्ष्य की प्रतियों की सप्लाई

7640. **श्री शिव पूजन शास्त्री :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम चरण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालयों द्वारा गवाहों के साक्ष्यों की प्रतियां संबंधित पक्षों को निःशुल्क नहीं दी जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में ये प्रतियां न्यायालयों द्वारा निःशुल्क दी जाती हैं ;

(ग) क्या दिल्ली के न्यायालयों में इसी प्रकार की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) यह सही है कि गवाहों के साक्षी की प्रतियां संबंधित पक्षों को निःशुल्क नहीं दी जाती।

(ख) कहा जाता है कि ये केवल ऐसे अभियुक्त को दी जाती हैं जो न्यायिक हवालात में हो और इनके लिये आवेदन पत्र दें ;